सेवा में

तारीख: 07 अक्टूबर 2012

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
6 मंजिल, इंदिरा भवन
लखनऊ - 226 001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी के लिए अनुरोध पत्र।

श्रीमान,

में ओमहरी गांव भूरंगा, डाक छैंछऊ, ज़िला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैने मार्च 2012 में पुलिस द्वारा प्राप्त पत्र के आधार पर आदरणीय जन सूचना अधिकारी / जिला जज अलीगढ़, जिला न्यायालय अलीगढ़ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने भाई की मौत से संबंधित विवरण प्रदान कराने के लिए अनुरोध किया, जिसे तारीख 30 मार्च 2012 को मुझे प्राप्त पत्र के अनुसार फीस का संज्ञान देते हुए निरस्त कर दिया, उसके बाद मैंने पूरी फीस के IPO के साथ जो 500.00 रूपये थी फिर से आदरणीय जन सूचना अधिकारी / जिला जज अलीगढ़, जिला न्यायालय अलीगढ़ को पत्र लिखा, उसे भी जुलाई 2012 में मुझे प्राप्त पत्र के अनुसार किसी दस्तावेज न प्राप्त कराने के धारा के आधार पर निरस्त कर दिया, श्रीमान यह मामला मेरे भाई की मौत से संबंधित है और मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपसे केवल अपने भाई से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए अनुरोध कर रहा था इसके साथ मैंने यह भी लिखा कि “क्या मुझे मेरे अपने ही भाई से संबंधित जानकारी लेने का अधिकार नहीं है यदि नहीं तो कैसे और कहाँ से मैं यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ वहाँ मेरे अनुरोध पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भेजने का कष्ट करे और मुझे जानकारी प्राप्त कराने का कष्ट करे, जिससे आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले मैं पहले से ही पुलिस विभाग से पूछ चुका हूँ जिसकी प्रति भी संलग्न है”।

श्रीमान, अब मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया इस पर संज्ञान लै और उचित कार्यवाही करके मुझे उक्त दस्तावेज प्राप्त करने में मेरी मदद करे। आपका अति आभारी रहूँगा।

धन्यवाद

संलग्नक -

1. जन सूचना अधिकारी द्वारा भेजे पत्र की प्रति।
2. पुलिस विभाग द्वारा भेजे पत्र की प्रति।
3. मेरे द्वारा भेजे गए सभी पत्रों की प्रतिया।

पत्राचार पता
नाम - ओमहरी
गांव - भूरंगा, डाक- छैंछऊ
थाना - इगलास
ज़िला - अलीगढ़-202124
फ़ोन - 9758540951